तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
13/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रारूप u/s 212 R.T. Act दि. 16/03/26 को पेश हो। [signature] 13/2/26
16/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस श्र0 का के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम समदी तहसील पिंडवाड़ा की वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार ख0 न0 304 रकबा 3.0038 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं अन्य 11 लोगों की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थीगण व अन्य पुत्र/पुत्रियों का संयुक्त हिस्सा 30/36 है। अन्य 11 खातेदारों को ना तो पक्षकार बनाया गया है और ना ही उनसे कोई अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण वर्तमान में ना रिकार्ड खातेदार है और ना ही वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई रजिस्टर्ड/अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये इसी कोर्ट में एक suit u/s 88, 188, 209 RT Act पेश कर रखा है जो इस वाद से पूर्व से ही लंबित [illegible] तथा वे कब्जाकाश्त अप्रार्थीगण का [illegible] भूमि पर स्वयं का [illegible] है लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों [illegible] द्वारा ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त का कोई भी documentary or/oral evidence पेश नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अप्रार्थीगण द्वारा भी तो कब्जाकाश्त के संबंध में कोई documentary/oral साक्ष्य पेश किया है और ना ही रेवेन्यू कार्मिकों द्वारा अप्रार्थी के पिता गंगाराम के पिता यानी प्रार्थीगण के दादाजी श्री छीतू के खाते दर्ज होने या परदादा श्री कालू के खाते दर्ज होने का कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में, स्थगन जारी करने से अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण को अधिक सुविधा होना साबित होता है।

अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रपत्र में पेश नहीं करने से, कब्जाकाश्त रिकॉर्ड रह-खातेदार - प्रार्थीगण का ही presume किया जायेगा और इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा करने या धमकी देने या भूमि को खुर्द बुर्द करने पर प्रार्थीगण को ही अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रपत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ता फैसला मूलवाद इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर वर्तमान कब्जेकाश्त की यथास्थिति बनाये रखें। स्थगन का नोट जमाबंदी पर अंकन नहीं किया जावे। पत्रावली फैसला मूलवाद होकर नम्बर से दर्ज होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

16/3/

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner